

सेवा में,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,


कुलसचिव,
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,
कानपुर।

महोदय,

आपके पत्र संख्या- सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब./६६६/२००४ दिनांक २०.७.२००४ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा ३७(२) के सुसंगत प्रावधानों एवं संशोधन अधिनियम २००३ की धारा -६ के परन्तुक के अधीन डॉ०वीरेन्द्र स्वल्प इन्स्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर स्टडीज, साकेत नगर, कानपुर को सी.सी.ए. पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक १.७.२००४ से आगामी तीन वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति सख्त प्रदान कर दी है :-

१. महाविद्यालय सम्बद्धता प्राप्त होते ही निरीक्षण आख्या/प्रपत्र 'बी' में उल्लिखित समस्त कमियों को पूरा कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
२. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - २८६१/सत्तर-२-२००३-१६ (६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई, ०३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है।
३. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता की सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

मवेदीय,



(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. सचिव उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ०प्र०, १८-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
२. सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ।
३. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
४. प्रबन्धक/प्राचार्य डॉ०वीरेन्द्र स्वल्प इन्स्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर स्टडीज, साकेत नगर, कानपुर

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

2-C

उप-ई.स.5537/जीएसओ दिनांक 11.10.2004 द्वारा महामहिम कुलाधिपति जी के विशेष सचिव,
एच. राजभवन, लखनऊ सम्बोधित कुलसचिव, छात्रपति शाह जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर ।

पत्र संख्या सीएसओजेएमओविओ/सम्ब/999/2003 दिनांक 20.7.2004 के संदर्भ में मुझे आपसे
निर्देश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उओप्रओ राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की
सुसंगत प्राविधानों एवं संशोधन अधिनियम 2003 की धारा-5 के परन्तुक के अधीन डाओवीरेन्द्र
ए आफ कम्प्यूटर स्टडीज, साकेत नगर कानपुर को वीओसीओएओ पाठ्यक्रम में स्वयंसेवक के रूप में
निलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 1.7.2004 से आगामी तीन वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति
की है:-

अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा ।
उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक
17.12.2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन
। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य
नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है ।
संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों
की पूर्ति एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उओप्रओ राज्य विश्वविद्यालय
अधिनियम 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की
ही नियमानुसार की जायेगी ।

छात्रपति शाह जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
दिनांक 16-10-04

विओविओ/सम्ब/ 2041 /2004

पि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित :-
क, डाओवीरेन्द्र स्वरूप इन्टीट्यूट आफ कम्प्यूटर स्टडीज, साकेत नगर कानपुर को इस आशय से प्रेषित
। महामहिम कुलाधिपति महोदय के उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें । माननीय
ते जी ने वीओसीओएओ पाठ्यक्रम में 02 सेक्शन प्रति सेक्शन 60 छात्र कुल 120 सीट्स निर्धारित
की कृपा की है ।
क कुलसचिव(परीक्षा) सीएसओजेएमओ विश्वविद्यालय, कानपुर
क कुलसचिव(अतिगोपनीय) सीएसओजेएमओ विश्वविद्यालय, कानपुर ।
म मैनेजर, सीएसओजेएमओ विश्वविद्यालय, कानपुर ।
ई, ईओडीओपीओसेन्टर, सीएसओजेएमओ विश्वविद्यालय, कानपुर ।

(डाओवीरेन्द्र पाण्डेय)
कुलसचिव

BCA
Approved

(1)

प्रमोद शर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,
कानपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6

विषय- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

लखनांक: दिनांक: 13 अगस्त, 2007

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-सी०एस०जे०एम०वि०वि०/सम्ब०/657/2007, दिनांक 31.05.2007 के संदर्भ में मुझे आपसे कह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-31(2) के अधीन श्री राज्यपाल डा० वीरेन्द्र स्वरूप इन्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर स्टडीज, 310 डब्ल्यू-1 ब्लॉक, जूही, साकेतनगर, कानपुर नगर को बी०सी०ए० पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2007 से सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 से उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णतः तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने को कार्यवाही निश्चयानुसार की जाएगी।

भवदीय,

(प्रेम शंकर)

अनु सचिव।

संख्या-1995(1)/सत्तर-6-2007, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य, डा० वीरेन्द्र स्वरूप इन्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर स्टडीज, 310 डब्ल्यू-1 ब्लॉक, जूही, साकेतनगर, कानपुर नगर।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(प्रेम शंकर)

अनु सचिव।

BSA
Approval

प्रतिनिधि पत्र संख्या-1995/सत्तर-6-2007-2(264)/2004 दिनांक 13.08.2007 द्वारा महानगरीन कुलाधिपति के अनु सचिव, राज्यपाल सचिवालय, रावभवन, लखनऊ सम्बन्धित कुलसचिव, उन्नपति शाह जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर ।

आपके पत्रांक सीएसजेएसएचएच/सम्ब/867/2007 दिनांक 30.5.2007 के संदर्भ में मुझे आपसे पत्र लेने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्त विश्वविद्यालय अधिनियम 1973(यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश, 2007) की धारा-37(2) के अधीन श्री राज्यपाल डा० वीरन्द्र स्वल्प इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर स्टडीज, 810 डब्ल्यू-1 ब्लाक, जूही, सक्केत नगर, कानपुर नगर को सीएसजेएसएच पाठ्यक्रम में स्वतंत्रता प्रदान के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2007 से सम्बद्धता की शर्त स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनदेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनदेशों का पालन करेगी ।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उपरोक्त राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही निम्नानुसार की जायेगी ।

उन्नपति शाह जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सीएसजेएसएचएच/सम्ब/ 2030 /2007

दिनांक 19/2/10

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्धक, डा० वीरन्द्र स्वल्प इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर स्टडीज, 810 डब्ल्यू-1 ब्लाक, जूही, सक्केत नगर, कानपुर नगर को इस अज्ञापन से प्रेषित है कि महानगरीन कुलाधिपति महोदय के उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें । महानगरीन कुलाधिपति को के अदेशानुसार पत्र भी सूचित करना है कि प्रचार्य, शिक्षकों का अनुमोदन पत्र, नियुक्ति पत्र, न्यायिन पत्र एवं अनुसन्ध पत्र(अन्यथा संशोधित) तथा प्रबन्धक का वपन पत्र (अन्यथा संशोधित) विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाना और महानगरीन कुलाधिपति महोदय के सम्बद्धता पत्र में इंगित शर्तों को पूर्ण/निरन्तरता रूप से पालना सुनिश्चित करना वाप ।
2. उप कुलसचिव(पठेबा) सीएसजेएसएचएच विश्वविद्यालय, कानपुर ।
3. सिलेन मैनेजर, सीएसजेएसएचएच विश्वविद्यालय, कानपुर ।
4. इंचार्ज, इंजीनियरिंग सेक्टर, सीएसजेएसएच विश्वविद्यालय, कानपुर ।

(नरेश चन्द)
कुलसचिव

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

Ref.NO.सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब./1879/2008

दिनांक : 28/7/08

प्रापक,

सचिव(प्रबन्ध समिति)

डा० वीरेन्द्र स्वरूप इन्स्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर स्टडीज,
साकेतनगर,
कानपुर

विषय- स्नातक स्तर पर बी०सी०ए० पाठ्यक्रम में पूर्व से निर्धारित सीट्स के अतिरिक्त सीट्स वृद्धि के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 05.07.2008 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि डा० वीरेन्द्र स्वरूप इन्स्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर स्टडीज, साकेतनगर, कानपुर की निरीक्षण आख्या के अनुसार आदेशानुसार महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर बी०सी०ए०-पाठ्यक्रम में पूर्व से स्वीकृत 540 सीट्स के अतिरिक्त सीट्स एक सेक्सन 60 छात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

भववीय,

(महेश चन्द)
कुलसचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सिस्टम मैनेजर, सी०एस०जे०एम० विश्वविद्यालय, कानपुर ।
2. इंचार्ज ई०डी०पी०, सी०एस०जे०एम० विश्वविद्यालय, कानपुर ।